(५१)

संख्याः /XVII-3/12-07(66)2008(TC-3)

प्रेषक,

एस0एस0 वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनु–3 देहरादून दिनांकः 04 जून, 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या–15 के बहुक्षेत्रीय विकास योजना जनपद हरिद्वार में हैण्डपम्प की स्थापना से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्याः–795 दिनांक 02 जुलाई, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बहुक्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार में हैण्डपम्प की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्न के रूप में स्वीकृत कुल धनराशि ₹ 3.32 लाख पर स्वीकृति प्रदान करते हुए जिलाधिकारी, हरिद्वार के पक्ष में आवंटित की गयी, किन्तु शासनस्तर से अलोटमेंट आई0डी0 जिलाधिकारियों, हेतु आवंटित न होने के कारण, उक्त धनराशि आहरित नहीं की जा सकती है।

अवगत कराना है कि वर्तमान में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेतु पृथक निदेशालय गठित किया जा चुका है, जिसकी वित्तीय स्वीकृतियों हेतु विशिष्ट कोड भी आवंटित किया जा चुका है, जिससे जिलाधिकारी, हरिद्वार के पक्ष में जारी ₹ 3,32,000/–. को आहरित किया जा सकता है।

अतः इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः–795 दिनांक 02 जुलाई, 2012 के संलग्नकों को पुनः कम्प्यूट्रीकृत कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है। उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 02 जुलाई, 2012 के शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 वल्दिया)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 801 (1)/XVII-3/12-07(66)2008(TC-3) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)
उप सचिव।